

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट्रेक बड़ीसादड़ी

जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

करण सं. 2/2015

वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

बाबरीबाई पत्नी कालूलाल गायरी नि. पीण्डड़ी तह0 बड़ीसादड़ी

- वादीया

॥ बनाम ॥

- 1- कालुसिंह पुत्र सज्जनसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 2- सुरजकंवर पत्नी सज्जनसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 3- भारतसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 4- बलवन्तसिंह पुत्र मौखमसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 5- जोरावरसिंह पुत्र मौखमसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 6- विक्रमसिंह पुत्र मौखमसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 7- टमाकुंवर पुत्री मौखमसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 8- नारायणकंवर पुत्री मौखमसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 9- मोहनकंवर पत्नी मौखमसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 10- शम्भूसिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 11- प्रेमसिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 12- कालुसिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 13- राजकंवर पुत्री उदयसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 14- शोभाकंवर पत्नी उदयसिंह राजपूत नि. आक्या तह0 बड़ीसादड़ी
- 15- शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. खरदेवला
- 16- शाखा प्रबन्धक केन्द्रीय सहायकी बैंक बड़ीसादड़ी
- 17- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा आक्या की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

1- बाबरीबाई पत्नी कालूलाल गायरी नि. पीण्डड़ी (खाता सं. 51)

आ.न.	रकबा	लगान
114	0.46	2.15
1	0.46	2.15

2- बाबरीबाई पत्नी कालूलाल गायरी नि. पीण्डड़ी (खाता सं. 48)

आ.न.	रकबा	लगान
124 मी	0.23	1.84
1	0.23	1.84

1 सं 48 का शेष हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा ।

3- बलवंतसिंह जोरावरसिंह विक्रमसिंह टमा कुंवर नारायण कुंवर पिता मौखमसिंह श्रीमती मोहन कुंवर पत्नी मौखमसिंह 2/7 हि. ब. सूरज कुंवर पत्नी स्व. सज्जनसिंह 1/7 बगदी पत्नी उदा गायरी 2/7 सा. पिण्डरी शम्भूसिंह प्रेमसिंह कालुसिंह राजकुंवर पिता उदयसिंह श्रीमती शोभाकुंवर पत्नी स्व. उदयसिंह 2/7 हि. ब. राजपूत सा. देह रहन बदस्तूर रहेगा ।

आ.न.	रकबा	लगान
124/1	1.40	11.20
1	1.40	11.20

(खाता सं. 48)

4- बाबरीबाई पत्नी कालूलाल गायरी नि. पीण्डडी (खाता सं. 107)

आ.न.	रकबा	लगान
118	0.19	0.19
1	0.19	0.19

5- कालुसिंह पिता सज्जनसिंह श्रीमती सूरजकुंवर पत्नी सज्जनसिंह 1/2 भारतसिंह पिता लालसिंह 1/2 रहन बदस्तूर रहेगा । ग्राम आक्या (खाता सं. 107)

आ.न.	रकबा	लगान
225	0.60	11.40
1	0.60	11.40

6- श्रीमती सूरजकुंवर पत्नी स्व. सज्जनसिंह 1/2 भारतसिंह पिता लालसिंह 1/4 राजपूत भेरूसिंह पिता राजपूत सा. देह के नाम रहेगी । (खाता सं. 107)

आ.न.	रकबा	लगान
260	0.09	3.36
1	0.09	3.36

7- श्रीमती सूरजकुंवर पत्नी स्व. सज्जनसिंह भारतसिंह पिता लालसिंह राजपूत भेरूसिंह पिता लालसिंह नाम रहेगी । ग्राम आक्या (खाता सं. 107)

आ.न.	रकबा	लगान
243	0.74	26.73
261	0.18	7.56
2	0.92	39.29

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे । पर्चा डिक्री बनायी जावे । निर्णय आज दिनांक 18.6.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया ।

मोहर :



(Handwritten Signature)

जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस

सहायक कलक्टर बडीसादकी